दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 8107/2011

आरक्षित: 9 अक्टूबर, 2013
निर्णय की तिथि: 18 नवंबर, 2013

रमेश फोनिया .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अरुण श्रीवास्तव, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री हिमांशु बजाज, सी.जी.एस.सी

कोरमः
माननीय न्यायाधीश सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायाधीश सुश्री दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल,

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता को दिव्यांगता पेंशन देने से प्रत्यर्थीगण द्वारा इनकार करने को चुनौती दी गई है, भले ही वह सीमा चौकी (बीओपी) बारापनसुरी (मिजोरम) में तैनात होने के दौरान लगी चोट के कारण चिकित्सा अयोग्यता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो। निर्णय इस मुद्दे पर टिका है कि याचिकाकर्ता को लगी चोटें सेवा के कारण हैं या नहीं।

2. वर्तमान रिट याचिका के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सीमा तक वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में नीचे उल्लेखित किया गया है।

3. याचिकाकर्ता 15 नवंबर 1997 को सीमा सुरक्षा बल में सेवा में शामिल हुआ। 25 जून 1998 को टेकनपुर में बीएसएफ अकादमी में अपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान याचिकाकर्ता को चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप 15 मार्च 2002 को मेडिकल बोर्ड द्वारा वार्षिक चिकित्सा जांच के दौरान उसे निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया। याचिकाकर्ता की 20 जनवरी 2003 को बीकानेर में बीएसएफ मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः जांच की गई, जिसमें उसे 20 जनवरी 2003 से 19 जनवरी 2004 तक निम्न चिकित्सा श्रेणी एस1एच1ए3(एल)(टी-48)पी1ई1 के अंतर्गत रखा। 18 जनवरी 2004 को श्रीगंगानगर में मेडिकल बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता की पुनः जांच की गई, जिसने उसे फिर से निम्न चिकित्सा श्रेणीएस1एच1ए3(एल)(पी) पी1ई1 में रखा।

4. 14 अगस्त, 2006 को याचिकाकर्ता बीओपी बारापनसुरी (मिजोरम) में कंपनी कमांडर के पद पर तैनात था। वह अपने अधीन तैनात कंपनी के जवानों के साथ वॉलीबॉल मैच खेलते समय घायल हो गया और उसके दाहिने घुटने में चोट लग गई।

5. 16 सितंबर, 2008 को रोशनबाग (पश्चिम बंगाल) में आयोजित मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की दोनों चोटों से विकलांगता का आकलन 59%

किया और पाया कि वह "पुराने एसीएल टियर (लेफ्ट) साइड (ऑप्टेड) के प्रभाव के परिणामस्वरूप बीएसएफ में किसी भी तरह की आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम है, जिसमें मेडिकल मेनिस्कस इंजरी और आईडीके (आरटी) घुटने के साथ स्क्रू इन सीटू है।" प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाबी शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की गई चिकित्सा कार्यवाही निम्नलिखित निष्कर्षों को प्रकट करती है:-

"02.	**सेवा में अक्षमता अनुबंधित थी?**	**हां**
03.	**क्या यह उन परिस्थितियों में अनुबंधित किया गया था जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था?**	**हाँ**
04.	**क्या यह सीधे तौर पर सेवा की शर्त है?**	**नहीं**
05.	**यदि हां, तो किस विशिष्ट स्थिति से? सी.ओ.आई. ने किया लेकिन यह उल्लेख नहीं किया कि चोट सेवा के दौरान लगी है।**	
06 व 07.	XXX	XXX XXX
08.	अक्षमता का प्रतिशत 59 प्रतिशत स्थायी (जैसा कि पिछले चिकित्सा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया गया था)	

6. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को स्थायी दिव्यांगता के कारण बीएसएफ सेवा से उसके प्रस्तावित अमान्य होने का कारण दिखाने के लिए नोटिस दिया और उसके बाद 4 सितंबर, 2009 को एक

आदेश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को बीएसएफ नियम 1969 के नियम 18 के प्रावधानों के तहत शारीरिक अयोग्यता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता तदनुसार 30 सितंबर, 2009 की दोपहर से सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़े।

7. जहां तक याचिकाकर्ता को पेंशन जारी करने का सवाल है, ये कागजात 105 बीएन बीएसएफ से 30 सितंबर, 2009 के संचार के माध्यम से वेतन और लेखा विभाग, बीएसएफ नई दिल्ली को प्रस्तुत किए गए थे। बीएसएफ के वेतन एवं लेखा विभाग ने याचिकाकर्ता को सामान्य पेंशन के साथ दिव्यांगता पेंशन जारी करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता 14 अगस्त, 2006 को लगी चोटों के लिए स्वयं जिम्मेदार था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 1 अक्टूबर, 2009 से केवल 13,730 रुपये के बराबर अमान्य पेंशन दी गई थी। जवाबी शपथपत्र में, प्रत्यर्थीगण ने यह रास्ता अपनाया है कि वेतन एवं लेखा विभाग ने याचिकाकर्ता को दिव्यांगता पेंशन का भुगतान करने से इस कारण से इनकार कर दिया है कि उसे लगी चोट किसी वास्तविक सरकारी कर्तव्य के कारण नहीं थी, जैसा कि 4 दिसंबर, 2006 को आयोजित जांच कार्यवाही में तत्कालीन कमांडेंट 105 बीएन बीओपी द्वारा उनके द्वारा समर्थित टिप्पणियों में कहा गया था।

8. प्रत्यर्थीगण ने यह भी आग्रह किया है कि 16 सितंबर, 2008 को आयोजित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही को 21 अक्टूबर, 2008 को महानिरीक्षक (कार्मिक), बीएसएफ मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद 105 बीएन को भेज दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि बीएसएफ मुख्यालय, नई दिल्ली ने इसके बाद 16 अप्रैल, 2009 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी गई थी और याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि वह संचार के 15 दिनों के भीतर मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता है, ऐसा न करने पर उसे सेवानिवृत्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे। प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता चुप रहा और उसने कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया और 15 दिनों की अवधि समाप्त होने पर, याचिकाकर्ता को बीएसएफ की सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया क्योंकि उससे कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी।

9. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती मुख्य रूप से दो आधारों पर आधारित है। पहला आधार यह है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा जिस मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही पर भरोसा किया गया था, उसे याचिकाकर्ता को कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता ने पहली बार 16 सितंबर, 2008 को उनसे संपर्क किया था, जब वे वर्तमान रिट याचिका के प्रति प्रत्यर्थीगण के

जवाबी शपथपत्र के साथ दायर किए गए थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को इसे चुनौती देने के अवसर से वंचित कर दिया गया। दूसरा आधार जिसके आधार पर याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपने दावे को अस्वीकार करने और दिव्यांगता पेंशन से इनकार करने का आरोप लगाता है, इस तर्क पर आधारित है कि याचिकाकर्ता को जो चोट लगी थी, वह निर्विवाद रूप से उसकी सेवा के कारण थी क्योंकि वह वास्तविक कर्तव्य के दौरान हुई थी, जिससे याचिकाकर्ता को पुरस्कार और लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगता पेंशन का भुगतान करने का अधिकार था।

10. जहां तक याचिकाकर्ता के प्रथम तर्क का प्रश्न है, प्रत्यर्थी 16 अप्रैल, 2009 के संवाद पर भरोसा करते हैं, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि 16 सितंबर, 2008 को बीएसएफ बरहामपुर अस्पताल में उसकी जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड ने उसे बीएसएफ में आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया है और मेडिकल बोर्ड ने उसे बीएसएफ नियम, 1969 के नियम 19(3) के तहत आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित करने के निष्कर्ष से याचिकाकर्ता को अवगत कराया है। इस संवाद द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि वह इस संवाद के 15 दिनों के भीतर मेडिकल बोर्ड के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। इस संवाद के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण ने पत्र के साथ बोर्ड की कार्यवाही की प्रति संलग्न नहीं की है। पत्र के सार से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को इस संवाद द्वारा

पहली बार उक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्यता के निष्कर्ष के बारे में सूचित किया जा रहा था। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही की प्रति नहीं दी है। इसलिए याचिकाकर्ता के इस तर्क में निश्चित रूप से दम है कि बोर्ड की कार्यवाही की प्रति उसे कभी नहीं दी गई और उसे उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करने का कभी अवसर नहीं दिया गया।

11. यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण ने जवाबी शपथपत्र के साथ 16 अप्रैल, 2009 के पत्र की प्राप्ति की प्रति संलग्न की है। इस प्राप्ति में बोर्ड की कार्यवाही की प्रति का भी कोई संदर्भ नहीं है जो कभी भी याचिकाकर्ता को दी गई हो।

12. निश्चित रूप से मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही को सार्थक चुनौती याचिकाकर्ता द्वारा तभी दी जा सकती थी, जब उसे बोर्ड की कार्यवाही तक पहुँच होती। प्रतिवादी की आपत्ति कि याचिकाकर्ता निष्कर्ष के खिलाफ अपील करने में विफल रहा और इसलिए, यह उसे बाध्य करता है, इस पृष्ठभूमि में कोई परिणाम या प्रभाव नहीं रखता है।

13. इस स्तर पर, हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने दिव्यांगता पेंशन के लिए अपने दावे के संबंध में प्रत्यर्थीगण से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूछताछ की है। प्रत्यर्थीगण ने 12 नवंबर, 2010

को पत्र द्वारा इसका जवाब दिया, जिसमें उन्होंने संबंधित पुस्तक में दी गई दिव्यांगता पेंशन की परिभाषा का उल्लेख किया। इसका अंश इस प्रकार है:

> "यदि कोई सरकारी कर्मचारी घाव, चोट या बीमारी के कारण अपनी विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से बाहर हो जाता है और उस विकलांगता को सरकारी सेवा के कारण माना जाता है, तो सरकारी कर्मचारी को विकलांगता पेंशन दी जाएगी। यह विकलांगता पेंशन अमान्य पेंशन/ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगी, यदि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत स्वीकार्य है।"
>
> उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकलांगता तत्व केवल उन कार्मिकों को प्रदान किया जाता है जिनकी विकलांगता सरकारी सेवा के कारण स्वीकार की जाती है। आपकी जानकारी के लिए यह है कि आपकी चोट सरकारी सेवा में स्वीकार नहीं की गई। इसके अलावा सीओआई में (जो यह पता लगाने के लिए आयोजित की गई थी कि आपको किन परिस्थितियों में चोट लगी थी) आपकी यूनिट के कमांडेंट ने राय दी है कि "अधिकारी को 14-6-2009 को बीओपी बारापनसुरी में वॉलीबॉल मैच खेलते समय (पैर मुड़ने के कारण) उनके दाहिने पैर में एक और आंतरिक चोट लगी है, जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि अधिकारी स्वयं जिम्मेदार हैं।" उपरोक्त के अलावा, मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में यह भी कहा गया है कि आपको लगी चोट सीधे तौर पर सेवा की स्थिति के कारण नहीं है। इसलिए, निष्कर्ष में, यह कहा गया है कि आप विकलांगता तत्व पाने के हकदार नहीं हैं।"
>
> (हमारे द्वारा रेखांकित)

14. अब वर्तमान मामले में उठाए गए दूसरे मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है जो याचिकाकर्ता को लगी चोटों की विशेषता से संबंधित है जिसने उसे सेवा में बने रहने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य बना दिया।

15. प्रत्यर्थीगण ने यह रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ता को 1998 में आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान लगी चोट को देखते हुए उसे किसी भी खेल में भाग लेने से बचना चाहिए था। वास्तव में, प्रतिशपथपत्र में प्रत्यर्थीगण ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को 25 जून, 1998 को बाएं घुटने में लगी चोट के कारण निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया था और उसे अन्य स्वस्थ सुरक्षाकर्मियों के समान सभी कर्तव्यों के लिए योग्य नहीं माना गया था और इस प्रकार उसे शारीरिक तनाव वाले किसी भी प्रकार के बल स्तर के पाठ्यक्रमों से छूट दी गई थी और फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (एफपीईटी) आदि जैसे कठिन व्यायाम से छूट दी गई थी। प्रत्यर्थीगण का यह दावा, इस संबंध में किसी भी औपचारिक आदेश द्वारा समर्थित नहीं है, किसी भी विश्वसनीयता के लिए पूरी तरह से अयोग्य है।

16. मामले की एक और पहलू से भी जांच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि निम्न चिकित्सा श्रेणी में उनकी नियुक्ति से उनके सामान्य कर्तव्यों के निष्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह दुर्गम क्षेत्रों में भी तैनात थे और निम्न चिकित्सा श्रेणी में रहने के दौरान पूरी अवधि में परिचालन संबंधी

कर्तव्य निभा रहे थे। प्रत्यर्थीगण ने कभी भी याचिकाकर्ता के साथ कोई विशिष्ठ व्यवहार नहीं किया गया और न ही उन्हें उनकी चिकित्सा श्रेणी के कारण सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन से छूट दी।

17. जहां तक याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का संबंध है, प्रत्यर्थीगण ने प्रकट किया है कि 25 जून, 1998 को याचिकाकर्ता को लगी चोटों के बाद, याचिकाकर्ता ने राजौरी (जम्मू), श्री गंगा नगर (राजस्थान), लुंगलेई (मिजोरम) और रोशनबाग (पश्चिम बंगाल) सहित विभिन्न स्थानों पर 105 बी. एन. बी. एस. एफ. के साथ 1 जनवरी, 1999 से 30 सितंबर, 2009 तक सेवा की, जब वह बी. एस. एफ. से सेवानिवृत्त हुए।

यह स्थिति प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित नहीं है।

18. इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पैर में चोट लगने के साथ-साथ उसके चिकित्सा वर्गीकरण के बावजूद, उसे प्रत्यर्थीगण द्वारा कठिन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से तैनात किया गया था। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्तव्य के पालन से कोई छूट नहीं दी गई थी। प्रत्यर्थीगण ने प्रतिशपथपत्र में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता एक कंपनी कमांडर के कर्तव्यों का पालन कर रहा था, जो एक नेतृत्व का पद है जो देश के कठिन और दूरदराज के हिस्सों में सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी की जिम्मेदारी लेता है।

19. बी.एस.एफ. जैसे अनुशासित सुरक्षाबल के सदस्य होने के नाते, याचिकाकर्ता इस प्रकार किसी भी अन्य कंपनी कमांडर के रूप में सभी कार्यों को करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, जिसे कोई चोट नहीं लगी होगी। वास्तव में कंपनी कमांडर को कंपनी का नेतृत्व करना पड़ता है, विशेष रूप से उसमें तैनात सभी बीएसएफ कर्मियों की स्वस्थता सुनिश्चित करने के लिए।

20. याचिकाकर्ता ने बताया है कि उन्हें 8 अप्रैल, 2006 को कमांडेंट के कार्यालय से एक पत्र मिला था जिसमें अंतर-बीएन प्रतियोगिता-2008 के दौरान 105 बीएन बीएसएफ की क्रीड़ादल के खराब प्रदर्शन की ओर इशारा किया गया था। इस संचार में ही कमांडेंट ने अन्य बातों के साथ-साथ खेलों में भाग लेने या वांछित मानक प्राप्त करने या सफल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए खिलाड़ियों के बीच निम्न प्रेरक स्तर की ओर इशारा किया था। कमांडेंट ने विशेष रूप से नोट किया है कि कर्मियों को अपनी आशंकाओं को सामने रखते हुए भी सुना गया था कि यदि वे खेलते हैं तो उन्हें चोट लग सकती है और इस प्रकार वे भाग लेने में रुचि नहीं रखते हैं। कमांडेंट ने नोट किया कि यह नकारात्मक प्रवृत्ति थी जिसे हिरासत में लेने की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में, कमांडेंट ने कमांडरों (याचिकाकर्ता सहित) को इन दोनों पहलुओं को बहुत बारीकी से देखने और तुरंत सभी सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया था। यह आगे कहा गया कि भविष्य में किसी भी विचलन से अधिक कठिनाइयाँ पैदा होने की संभावना है।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव ने हमारा ध्यान "सीमा सुरक्षा बल मैनुअल - खंड I ओपीएस निदेशालय" में पद पर आसीन कंपनी कमांडरों को दिए गए दिशा-निर्देशों की ओर आकर्षित किया है। प्रत्यर्थीगण ने ड्यूटी पोस्ट पर तैनात बल के सभी सदस्यों के लिए इस मैनुअल में दैनिक दिनचर्या निर्धारित की है। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है।

"दैनिक दिनचर्या

10. जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, बी.ओ.पी. में निम्नलिखित दिनचर्या का पालन किया जाएगाः-

(क) खड़े हो जाओ
(ख) संचालन से बाहर निकलना
(ग) पी.टी.
(घ) नाश्ता
(ङ) टी. आर. जी. अवधि (केवल 2 अवधि)/गश्ती भेजना।
(च) दोपहर का भोजन और आराम
(छ) ओटीडब्ल्यू (अपना समय कार्य) जैसा कि बीओपी कमांडरों द्वारा तय किया गया है।
(ज) खेल
(झ) इवनिंग रोल कॉल
(ञ) गश्ती दल भेजना/सीमा पर घात लगाना/नाका लगाना।"

(हमारे द्वारा ज़ोर दिया गया)

22. इस प्रकार खेल सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ कर्मियों की दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गए हैं।

यह स्थिति भी अभिलेख पर निर्विवाद है।

23. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***केंद्रीय सिविल के नियम*** 3(क)(2) के तहत अक्षमता की प्रयोज्यता की गणना के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ***नियम*** 3(क)(2) का प्रासंगिक उद्धरण ***केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण) के नियम*** **पेंशन) नियम इस प्रकार हैं:-**

> **"3-A. योग्यता**
>
> (1) XXX XXX XXX
>
> (2) प्रयोज्यता या अपवृद्धि को स्वीकार करने के लिए, निम्न के बीच एक कारणात्मक संबंध होगा-
>
> (क) निःशक्तता और सरकारी सेवा; और
>
> (ख) मृत्यु और सरकारी सेवा,
>
> इस संबंध में दिशानिर्देश परिशिष्ट में दिए गए हैं, जिन्हें इन नियमों का अनिवार्य अंग माना जाएगा।"

24. इस नियम के तहत, प्रत्यर्थीगण ने सरकारी सेवा के लिए अक्षमता या मृत्यु की विशेषता को स्वीकार करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। प्रत्यर्थीगण ने निर्धारित किया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियनों की अनुशासनात्मक संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को "ड्यूटी पर" कब माना जाएगा। इस संबंध में दिशानिर्देशों का पैरा 4(ख)(iii) इस प्रकार हैः-

> "4(क) XXX XXX XXX

(ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियनों की अनुशासनात्मक संहिता के अधीन एक ***व्यक्ति*** है, '***ड्यूटी पर*** है'।

(i) XXX XXX XXX

(ii) XXX XXX XXX

(iii) सेवा प्राधिकारियों द्वारा आयोजित या अनुमति प्राप्त मनोरंजन में भाग लेने की अवधि के दौरान, तथा संगठित व्यवस्था के तहत सामूहिक रूप से या अकेले यात्रा करने की अवधि के दौरान।

(जोर दिया गया)

25. इन दिशानिर्देशों को लागू करने पर भी यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता जो अपनी पोस्टिंग के स्थान पर बटालियन में आयोजित खेलों में भाग ले रहा था, वह ईमानदारी से काम कर रहा था।

26. प्रत्यर्थीगण ने विभिन्न निम्न चिकित्सा श्रेणी ग्रेडिंग की रोजगार योग्यता सीमाओं के बारे में अपने तर्क के समर्थन में ***सीमा सुरक्षा बल मैनुअल वॉल्यूम IX - चिकित्सा निदेशालय*** पर भरोसा किया है। यह आग्रह किया जाता है कि ऐसे निम्न चिकित्सा श्रेणी के कार्मिक जो ग्रेड 'क3(ठ)' में थे, उन्हें एक तरफ घुटने के ऊपर कोई बीमारी या दिव्यांगता है, जिसमें पेल्विक गर्डल भी शामिल है, उन्हें अपनी गति से 5 किलोमीटर तक चलने में सक्षम होना चाहिए

और ऐसे निम्न चिकित्सा श्रेणी के कार्मिक केवल बैठे रहने वाले कर्तव्यों के लिए ही स्वस्थ हैं।

27. जहाँ तक निम्न चिकित्सा श्रेणी क3(ठ) वाले कर्मियों की बात है ***सीमा सुरक्षा बल नियमावली खंड IX-चिकित्सा निदेशालय*** निम्नलिखित प्रावधान करता हैः-

"(ख) क3(ठ)

घुटने के ऊपर एक तरफ कोई बीमारी या दिव्यांगता है, जिसमें पेल्विक गर्डल भी शामिल है, उसे अपनी गति से 5 किलोमीटर तक चलने में सक्षम होना चाहिए।	केवल बैठे रहने वाले कामों के लिए उपयुक्त। आईएस ड्यूटी के दौरान उच्च ऊंचाई और परिचालन संबंधी कामों के लिए उपयुक्त नहीं।

28. हमने याचिकाकर्ता को लगी चोटों पर गौर किया है। याचिकाकर्ता की चोटें घुटने से ऊपर नहीं थीं। इसमें पेल्विक गर्डल शामिल नहीं था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता सामान्य काम करने में सक्षम नहीं था। वास्तव में प्रत्यर्थीगण ने उसे ऑपरेशनल ड्यूटी सौंपी है और

उसके काम में कोई शिकायत नहीं बताई गई है। उपरोक्त दिशा-निर्देश इस मामले में लागू नहीं होते।

29. यह आग्रह किया जाता है कि 25 जून, 1998 को बाएं घुटने में लगी चोट के कारण 15 मार्च, 2002 से याचिकाकर्ता को निम्न चिकित्सा श्रेणी एस1एच1ए3(एल)(टी-48)पी1ई1 में रखा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए3(एल) श्रेणी में रखे गए कर्मियों के संबंध में सीमाएँ हैं और ***सीमा सुरक्षा बल मैनुअल वॉल्यूम I के पृष्ठ 111*** के अनुसार, जहाँ तक ए3(एल) श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों का संबंध है, विभिन्न निम्न चिकित्सा श्रेणी ग्रेडिंग की रोजगार योग्यता सीमाएँ हैं।

30. हम पाते हैं कि वर्ष 1998 में लगी चोट के कारण याचिकाकर्ता की रोजगार योग्यता पर किसी भी समय कोई सीमा नहीं है। यह ऊपर उल्लिखित 8 अप्रैल, 2008 के संचार और याचिकाकर्ता की विभिन्न पोस्टिंग से स्पष्ट है।

31. उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि भले ही याचिकाकर्ता को 1998 में लगी चोटों के कारण निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जहाँ तक कठिन क्षेत्रों में उसकी पोस्टिंग का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे याचिकाकर्ता के पद या उसे सौंपे गए काम में भी कोई फर्क नहीं पड़ा।

32. प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के लिए कार्य आवंटन के संबंध में कोई विशेष छूट नहीं दी है। उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया

गया है और उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जो निम्न चिकित्सा श्रेणी में नहीं आता है।

33. इसके अलावा, 105 बीएन बीएसएफ के कमांडेंट द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय जांच न्यायालय की कार्यवाही भी रिकॉर्ड में है, जो 4 नवंबर, 2006 के आदेश के तहत उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिनमें याचिकाकर्ता को वॉलीबॉल मैच के दौरान चोट लगी थी। याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि उसे चोटें तब लगी थीं, जब वह कंपनी के सैनिकों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था, जो कि कंपनी की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में सैनिकों की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। अदालत द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कि यह जानते हुए कि उसका बायां पैर पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसका ऑपरेशन हो चुका है, याचिकाकर्ता ने वॉलीबॉल खेलने का जोखिम क्यों उठाया, जिसके दौरान उसे 14 अगस्त, 2006 को चोट लगी थी, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित उत्तर दिया था

> "उत्तर सर, मेरा ऑपरेशन 2002 में हुआ था और तब से मैं नियमित व्यायाम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि डॉक्टर भी मुझे व्यायाम करने की सलाह देते हैं। मैं पिछले 04 वर्षों से एल.एम.सी. के बावजूद ऑपरेशन ड्यूटी कर रहा हूँ। यह तथ्य कमांडेंट से लेकर आई.जी. तक सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पता है। मेरे स्थायी एल.एम.सी. के बावजूद

> मुझे मिजोरम जैसे दुर्गम क्षेत्रों में बी.ओ.पी. पर ऑपरेशन ड्यूटी में लगाया गया है, और मैं अपने वरिष्ठों की संतुष्टि के लिए ऐसी ड्यूटी कर रहा हूँ।
>
> इसलिए मुझे वॉलीबॉल खेलने में कोई परेशानी नहीं हुई, जो मैं पिछले कई सालों से खेल रहा हूँ। मैं पिछले कई सालों से सीआरपी, पेट्रोलिंग, चेकिंग आदि भी कर रहा हूँ। यहाँ तक कि गंगा नगर में भी मैं आईबी में कॉय कमांडर था और कई तरह के ऑपरेशन ड्यूटी करता था। यह संयोग की बात थी कि मैं बीओपी में वॉलीबॉल खेलते समय घायल हो गया।
>
> इसके अलावा, कॉय कमांडर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सैनिकों की शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करूँ और इसके लिए सभी गतिविधियों में मेरा शारीरिक सहयोग होना ज़रूरी है। अपने कर्तव्यों के एक हिस्से के रूप में मैं हमेशा सैनिकों के साथ खेलता हूँ।

34. 4 सितम्बर, 2009 को जारी किया गया विवादित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता को शारीरिक अयोग्यता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त किया गया, हालांकि, वर्ष 1998 में उसके बाएं घुटने में लगी चोट और वर्ष 2006 में उसके दाहिने घुटने में लगी चोट के कारण है। विवादित आदेश, बीएसएफ नियम 1969 के नियम 18 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है, जिसमें सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत पेंशन लाभ भी शामिल है।

35. प्रतिवादियों ने इस बात पर कोई विवाद नहीं उठाया है कि वर्ष 1998 में हुई पहली चोट सरकारी कर्तव्य के कारण हुई थी।

36. जहां तक दूसरी चोट की जिम्मेदारी का सवाल है, इसे नकारने के लिए एकमात्र परिस्थिति कंपनी कमांडेंट द्वारा 4 दिसंबर, 2006 को किया गया समर्थन है, जिसमें कमांडेंट ने कहा था कि 14 अगस्त, 2006 को वॉली बॉल खेलते समय लगी चोट के लिए कोई और नहीं बल्कि अधिकारी स्वयं जिम्मेदार है।

यह अनुमोदन केवल यह स्पष्ट करता है कि मैच के दौरान लगी चोटों में कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं था। इस अनुमोदन को इस प्रकार नहीं माना जा सकता कि कमांडेंट ने कहा है कि यह सेवा के कारण नहीं था। वास्तव में, हम यह नोट कर सकते हैं कि प्रतिवादियों का मामला यह है कि 14 अगस्त, 2006 को कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी पोस्ट पर मौजूद नहीं था, जो उनके इस तर्क का समर्थन करता हो कि याचिकाकर्ता पर खेल खेलने का कोई दबाव नहीं था। इसलिए कमांडेंट उस समय मौजूद नहीं था जब याचिकाकर्ता को चोट लगी और वह याचिकाकर्ता को लगी चोट पर टिप्पणी करने में अक्षम था।

37. हम पाते हैं कि वास्तव में उसी कंपनी कमांडेंट ने 9 दिसंबर, 2006 को अपनी राय प्रस्तुत की है, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है।

<u>“कमांडेंट/कार्यालय प्रमुख की राय</u>

(क)(i) क्या व्यक्ति किसी आधिकारिक कार्य या ऐसे कार्य के निष्पादन के दौरान था जिसे न करने पर उस पर लागू अनुशासनात्मक संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता था? (कार्य की प्रकृति बताएं, यह आदेश किसने दिया और कब दिया गया)

- अधिकारी के बाएं घुटने में चोट बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान लगी जो सीआई में यूनिट की तैनाती के दौरान और बढ़ गई।

- अधिकारी के दाहिने घुटने में चोट **बीओपी में शाम के खेल (वॉलीबॉल) में भाग लेने के दौरान लगी।**

(ख) **क्या दुर्घटना पूरी तरह से/आंशिक रूप से निम्नलिखित के कारण हुई थीः**

(i) गंभीर लापरवाहीः **नहीं, अधिकारी की ओर से कोई गलती नहीं थी जिससे चोट लगी**

और/या

(ii) व्यक्ति का दुराचार? **नहीं**

(गंभीर लापरवाही या दुराचार की प्रकृति और उन आधारों को इंगित करें जिन पर राय आधारित है) "

(हमारे द्वारा जोर दिया गया)

38. उपरोक्त चर्चा से, अपरिहार्य और एकमात्र संभव निष्कर्ष यह है कि शाम के खेल याचिकाकर्ता के कर्तव्यों का अभिन्न अंग थे। यह भी एक तथ्य है

कि याचिकाकर्ता को सौंपे गए कर्तव्य के किसी भी भाग के प्रदर्शन से छूट नहीं दी गई थी। प्रतिवादियों ने स्वयं याचिकाकर्ता को निम्न चिकित्सा श्रेणी का कोई विशेष मामला नहीं माना है। उसे अन्य बीएसएफ कर्मियों की तरह ही पोस्टिंग और पद दिए जा रहे थे, जो निम्न चिकित्सा श्रेणी के नहीं थे, जिसमें कठिन पोस्टिंग भी शामिल है। प्रतिवादियों ने कमांडर के पद पर एक व्यक्ति द्वारा अपेक्षित नेतृत्व को मान्यता दी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को खेलों में भाग लेकर सैनिकों को शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित करना था। यह केवल सामने से नेतृत्व करने वाले अधिकारी द्वारा ही संभव है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि 14 अगस्त, 2006 को बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) बारापनसुरी (मिजोरम) में वॉलीबॉल खेलते समय याचिकाकर्ता को जो चोटें आईं, वे उसे ड्यूटी पर रहते हुए लगीं।

39. हम यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा की गई जांच अदालत ने केवल याचिकाकर्ता को लगी चोटों से संबंधित तथ्यों को दर्ज किया। इसने चोटों के कारण के सवाल पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया।

40. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता को जो चोटें आईं, जब वह वास्तविक सरकारी ड्यूटी पर था, तो उसकी सेवा के कारण ऐसा हुआ और इसके परिणामस्वरूप विकलांगता हुई, जिसका मूल्यांकन

प्रतिवादियों द्वारा 21 अक्टूबर, 2008 को आयोजित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में 59% विकलांगता के रूप में किया गया था।

41. परिणामस्वरूप, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन के अनुदान का हकदार था, जिसे गलत तरीके से उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

42. तदनुसार हम विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे की अस्वीकृति को रद्द करते हैं। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विकलांगता पेंशन के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करें और आज से चार सप्ताह के भीतर उस पर आदेश पारित करें। उस पर पारित आदेश को तुरंत याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा। बकाया राशि की गणना भी की जाएगी और छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा और उसे देय राशि का भुगतान आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

43. याचिकाकर्ता को लागत का हकदार माना जाएगा, जिसका मूल्यांकन 20,000 रुपये किया गया है और याचिकाकर्ता को आज से आठ सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाएगा।

इस रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)
न्यायाधीश

18 नवंबर, 2013
एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*